ई0प0सं0 20350–2(190पे0)/2018

प्रेषक,

डॉ0 मेहरबान सिंह बिष्ट,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक: 03 अगस्त, 2022

विषय :– **मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 398/2018 के परिपालन में जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर की मसूरी सीवरेज योजना (पुनरीक्षित) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 461/नग0अनु0जनपद देहरादून/77 दिनांक 02 सितम्बर, 2020 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 398/2018 के परिपालन में जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर की मसूरी सीवरेज योजना (पुनरीक्षित)** को व्यय वित्त समिति नियोजन विभाग द्वारा कुल लागत ₹ 10306.23 लाख (सैंटेज सहित) (₹ एक अरब तीन करोड़ छः लाख तेईस हजार मात्र) अनुमोदित की है। योजना के अन्तर्गत पूर्व में विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से कुल धनराशि ₹ 6273.25 लाख (₹ बासठ करोड़ तिहत्तर लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में Scheme For Special Assistance to State Capital Expenditure योजना के अन्तर्गत प्रश्नगत योजना हेतु शासनादेश सं0 I/38641/2022 दिनांक 27 मई, 2022 द्वारा ₹ 1022.00 लाख (₹ दस करोड़ बाईस लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखी गयी है। अतएव मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 398/2018 के परिपालन में जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर की मसूरी सीवरेज योजना (पुनरीक्षित) लागत ₹ 10306.23 लाख (सैंटेज सहित) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2023 तक पूर्ण व्यय कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार/शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iii) योजना के कार्यों पर मदवार उतना ही व्यय किया जाए जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

(iv) निर्माण सामग्री यथा रेत बजरी, ईंट, Cement. Steel, Pipe एवं अन्य का S.I. Code के मानकों के अनुरूप N.A.B.L. Laboratory से परीक्षण कराते हुए मानक विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्ता अवश्य सुनिश्चित की जाए।

(v) आगणन में सिविल निर्माण कार्य हेतु डी0एस0आर0/एस0ओ0आर0 एवं नॉन शिडयूल मदों हेतु बाजार से दरें ली गयी हैं एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टियां उल्लिखित हैं विशिष्टियों एवं दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति

Generated from eOffice by NAGENDRA SINGH MATHURA, SO-NSM, SECTION OFFICER, Drinking Water Department on 03/08/2022 04:23 PM

अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्हीं मदों का आंगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें है।

(vi) योजना में प्राविधानित Plant and Equipment की आपूर्ति हेतु Cost effectiveness तथा Energy efficient system के अनुरूप कार्यवाही का विशेष ध्यान दिया जाए।

(vii) आंगणन में प्राविधानित नॉन शिडयूल मदों के कियान्वयन में अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(viii) मितव्ययता के दृश्टिकोण से यथासम्भव मानकानुसार स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से भी नियोजन को अवगत करायेंगे।

(ix) कार्य का तृतीय पक्ष गुणवत्ता नियन्त्रण का कार्य अवश्यमेव कराया जाए।

(x) इस परियोजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु उपरोक्तानुसार अनुमोदित धनराशि का समयबद्ध रूप से उपयोग करते हुए मसूरी सीवरेज योजना (पुनरीक्षित) को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाए। योजना का पुनरीक्षण किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगा।

(xi) कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विशलेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

(xii) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार समक्ष प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

(xiii) निर्माण कार्य पर अनुमोदित लागत से अधिक व्यय कदापि न किया जाए और न ही अनुमोदित आंगणन में इंगित कार्य एवं मात्रा से अधिक कार्य किया जाए।

(xiv) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरो/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।

(xv) कार्य कराने से पूर्व उच्च अधिकारियों एवं भू–गर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से स्थल का भली भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

(xvi) उक्त योजना के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 वित्त नियम संग्रह खण्ड–1(वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम(बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। वित्त व्यय समिति के दिशा–निर्देशों का अक्षरतः पालन सुनिश्चित किया जाय।

(xvii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(xviii) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

(xix) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(xx) निर्माण कार्यों को निर्धारित समय व स्वीकृत लागत में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय, जिस हेतु निर्माण की प्राथमिकता और समय सारणी इस प्रकार तैयार की जाय कि निर्माण

Gen ated from eOffice by NAGENDRA SINGH MATHURA, SO-NSM, SECTION OFFICER, Drinking Water Department on 03/08/2022 04:23 PM

हेतु उपयुक्त माहों/सीजन का पूर्ण लाभ लिया जा सके और पूर्ण होने वाले कार्य शीघ्र पूर्ण होकर उपयोग में लाये जा सकें।

2. धनराशि का उपयोग हेतु शासनोश संख्या 236/9(150)2019/XXVII(1)/2021 दिनांक 04 अप्रैल, 2022 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4. यह आदेश वित्त विभाग की कम्प्यूटर जनरेटेड संख्या–I/53940/2022 दिनांक 01.08.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

Signed by Meharban Singh Bisht
Date: 03-08-2022 12:35:50

(डॉ0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव

पु0 संख्या– 20350–2(190पे0)/2018, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2–महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3–मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
4–वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5–बजट निदेशालय, देहरादून।
6–वित्त अनुभाग–1 एवं 2, उत्तराखण्ड शासन।
7–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Sunil Singh
Date: 02-08-2022 17:25:37

(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव

Ge rated from eOffice by NAGENDRA SINGH MATHURA, SO-NSM, SECTION OFFICER, Drinking Water Department on 03/08/2022 04:23 PM